

12/2/26

अधिवक्ता अपीणाण्ट नमु०। अधिवक्ता उभयपक्ष उप०।
अधिवक्ता अपीणाण्ट व अपीणाण्ट को न्यायालय द्वारा अधिवक्ता
समय में रुठ-रुठ कर वार-2 अवामे लगाये गयी। लेकिन
इनमें ओर से कोई अपील नहीं हुआ। पत्रावली का
असोजन किया। जिससे स्पष्ट है कि अधिवक्ता अपीणाण्ट
को रेस्यू. सं. 1 के अ. मु. के समन पेश करने हेतु निर्दिष्ट
किया. लेकिन अधिवक्ता अपीणाण्ट द्वारा आप पेशी जिांठ
तक उक्त आदेश की पाठना नहीं की गयी। अतः पत्रावली
अदम पैन्वी। हाजरी। तहमील में आरिज की जाती है।
पत्रावली फैसल शुभार होकर बाद तहमील लेख्या लेख
अम होकर दायिण दफ्तर हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पत्नी